आदेश की क्रम संख्या और तारीख	न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह वाद सं0–462/2022 नवीन आनन्द **बनाम** रसीद पेंटर वगै0 (धारा 144 दं0प्र0सं0)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
21.10.2022	थाना प्रभारी, मुफ्फसिल थाना, गिरिडीह से प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 15/2022 के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध निम्नांकित विवादग्रस्त भूमि पर दं0प्र0सं0 की धारा 144(i) के अर्न्तगत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गई :– **भूमि विवरणी** :– मौजा–झगरी, थाना–मु0 गिरिडीह, जिला–गिरिडीह के अर्न्तगत खाता नं0 35 प्लॉट नं0 896 रकवा 04 डी0 तथा चौहदी–उ0–रतन सिंह वगैरह का जमीन, द0–नीज, पू0–नीज बाद कॉमन रास्ता, प0–बुलाकी मियां। उभय पक्ष द्वारा अपना–अपना कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष का दावा है कि मौजा–मंगरोडीह, अर्न्तगत खाता नं0 35 प्लॉटनं0 826, 835,रु 896, 836, 838 एवं अन्य की जमीन खतियानी रैयत–याकुब की थी। मो0 बेलाल उक्त याकुब का वारीश है। इन्होंने उपरोक्त खाता–प्लॉट के अर्न्तगत कुल 3.27 एकड़ का एकरारनामा प्रथम पक्ष के पक्ष में निष्पादित किया एवं उक्त जमीन पर दखल दिया, परन्तु द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रश्नगत भूमि पर दिवाल का निर्माण करने हेतु जमीन की खुदाई करने लगे तथा ईटा, बालू जमीन पर इकट्ठा करने लगे। जब प्रथम पक्ष द्वारा मना किया गया, तब द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रथम पक्ष को विभिन्न प्रकार की धमकी देने लगे। द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रश्नगत भूमि पर अवैध रूप से जबरन कब्जा करना चाहते है, जिसकी पुष्टि स्थानीय पुलिस द्वारा भी अपने जांच प्रतिवेदन के माध्यम से की गई है। द्वितीय पक्ष को उक्त जमीन पर कोई हक/दखल नहीं है, बल्कि जाली एवं बनावटी कागजात के आधार पर जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहतें है। दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि मौजा–मंगरोडीह अर्न्तगत खाता नं0 80 प्लॉट नं0 826 की जमीन द्वितीय पक्ष के पूर्वज–खातिर मियां द्वारा हासिल किया गया एवं दखलकार हुआ। उक्त जमीन को प्रथम पक्ष क्रय करना चाहतें है, जिसके लिए द्वितीय पक्ष तैयार नहीं है। परिणामस्वरूप प्रथम पक्ष अवैध रूप से उक्त जमीन को हड़पना चाहते है। जब द्वितीय पक्ष प्लॉट नं0 826 के अर्न्तगत 10 डी0	

जमीन पर निमार्ण कार्य प्रारम्भ किए, तब प्रथम पक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया। द्वितीय पक्ष के सदस्य खाता नं0 35 की जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं किए है, बल्कि खाता नं0 80 की जमीन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किए, परन्तु प्रथम पक्ष इसे खाता नं0 35 की जमीन बताकर निर्माण कार्य को जबरन रोक दिए।

विद्वान अधिवक्ताओं को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष वादगत भूमि को एकरारनामा के आधार पर दावा करते है, जबकि द्वितीय पक्ष का दावा खाता नं0 80 प्लॉट नं0 826 की जमीन पर है, परन्तु अपने दावे के समर्थन में द्वितीय पक्ष द्वारा कोई कागजता पेश नहीं किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष खाता नं0 35 प्लॉट नं0 896 रकवा 04 डी0 जमीन पर जबरन अवैध रूप से निर्माण कार्य प्रारम्भ किए है। इससे स्पष्ट होता है कि यह एक वास्तविक भूमि विवाद है एवं उभय पक्ष के बीच तनाव तथा शांति–भंग होने की आशंका बनी हुई है। अतः मामले की वास्तविक स्थिति तक पहुँचने के लिए तथा उभय पक्ष के बीच जमीन विवाद को लेकर तनाव एवं शांति–भंग होने की आशंका को देखते हुए इस वाद को धारा–145 दं0प्र0सं0 में परिवर्तित किया जाता है। उभय पक्ष को लिखित–अभिकथन तथा अग्रेतर साक्ष्यों की कार्रवाई हेतु नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 26/12/22 को प्रस्तुत करें।

लेखापित।

21/10/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

21/10/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

Digitally signed by Vishal Deep Khalkho
Date: 2022.11.07 13:19:05 +05:30
Location: 192.168.29.151